

**कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला- होशंगाबाद (म.प्र.)**

(फोन- 07574-253655, E-mail- dcourthos-mp@nic.in)

**परिपत्र**

क्रमांक 594 / दो-1-8 / 19

होशंगाबाद दिनांक 06.06.2020

प्रति,

- (1) समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण, जिला होशंगाबाद
- (2) समस्त अनुभाग, प्रभारी अधिकारीगण, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)
- (3) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद (म.प्र.)
- (4) प्रस्तुतकार, जिला न्यायाधीश होशंगाबाद (म.प्र.)

विषय:- कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के कारण देशव्यापी लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा दिये गये आगामी दिशा निर्देशों के संबंध में।

संदर्भ:- माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का परिपत्र क्रमांक ए/1224 जबलपुर दिनांक 05.06.2020

—00—

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा संदर्भित परिपत्र के माध्यम से कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण के मामलों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक क्यू-5 जबलपुर दिनांक 25.03.2020 एवं क्यू-13 जबलपुर दिनांक 17.05.2020 की प्रभावशीलता दिनांक 13.06.2020 तक की अवधि के लिये बढ़ायी गयी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश भी दिया गया है कि उक्त अवधि में अधीनस्थ न्यायालयों में उक्त परिपत्रों में दिये गए निर्देशानुसार ही कार्य संपादित किया जावे।


इस न्यायिक जिला स्थापना के कार्यालयीन परिपत्र क्रमांक 569 / दो-1-8 / 19 होशंगाबाद, दिनांक 30.05.2020 के द्वारा न्यायालयीन कार्य निष्पादन हेतु तथा विविध आदेश क्रमांक क्यू-3 / दो-1-8 / 19 होशंगाबाद, दिनांक 30.05.2020 द्वारा न्यायालयों के समय, शासकीय सेवकों की उपस्थिति संबंधी विस्तृत आदेश पूर्व में जारी किये जा चुके हैं, इसलिए उक्त परिपत्र एवं विविध आदेश में दिये गए दिशा निर्देशों को ही आगामी लॉकडाउन अवधि 08.06.2020 से 13.06.2020 तक प्रभावशील होंगे। इस प्रकार यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 14.06.2020 तक परिपत्र क्रमांक क्यू-12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020 व इसके पूर्व एवं पश्चात् जारी अन्य परिपत्रों में दिये गए निर्देशों के आलोक में ही न्यायालयीन कार्य संपादित किया जावेगा।

संदर्भित परिपत्र में यह भी निर्देशित किया गया है कि यदि कोई न्यायालय परिसर का क्षेत्र कन्टेन्मेंट क्षेत्र घोषित किया जाता है तो वह न्यायालय परिसर कन्टेन्मेंट मुक्त होने तक बंद रहेगा और इस न्यायालय के अतिआवश्यक कार्य जिला न्यायाधीश के निर्देशानुसार संबंधित न्यायाधीश द्वारा अपने आवास से वीडियो कान्फ्रेंसिंग अथवा अन्य सुविधाजनक तरीके से संपादित किये जावेंगे। इसके अतिरिक्त यदि न्यायाधीश का निवास कन्टेन्मेंट क्षेत्र में आता है तो वह

न्यायाधीश न्यायालय में तब तक उपस्थित नहीं होंगे जब तक कि वह क्षेत्र नॉन कन्टेन्मेंट जोन घोषित नहीं होता है।

अतः सभी न्यायाधीशगण को निर्देशित किया जाता है कि इस परिपत्र का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।


**संलग्न**— माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर  
का परिपत्र क्रमांक ए/1224 जबलपुर  
दिनांक 05.06.2020

  
(चन्द्रेश कुमार खरे)  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
होशंगाबाद(म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक **595** / दो-1-8 / 19  
**प्रतिलिपि,**

होशंगाबाद दिनांक 06.06.2020

- (1) रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) अध्यक्ष/सचिव, अभिभाषक संघ, होशंगाबाद/इटारसी/पिपरिया/सोहागपुर/सिवनीमालवा, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)
- (3) जिला दण्डाधिकारी होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (4) पुलिस अधीक्षक होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (5) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होशंगाबाद (म.प्र.)
- (6) लोक अभियोजक होशंगाबाद (म.प्र.)
- (7) जिला अभियोजन अधिकारी होशंगाबाद, (म.प्र.)
- (8) जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (9) जिला जनसंपर्क अधिकारी होशंगाबाद की ओर जिला व संभाग के दैनिक समाचार पत्र क्रमशः दैनिक भास्कर, जागरण एवं पत्रिका में प्रकाशनार्थ कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (10) प्रशासनिक अधिकारी/जिला नाजिर होशंगाबाद की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (10) सिस्टम ऑफीसर होशंगाबाद की ओर भेजकर निर्देश है कि समस्त संबंधितों को ई-मेल/व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करें एवं परिपत्र की प्रति होशंगाबाद जिले की वेबसाइट पर अपलोड करें।

  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
होशंगाबाद(म.प्र.)



HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

// CIRCULAR //

No. A/1214

Jabalpur, dated 5<sup>th</sup> June, 2020

Sub: Extension of operation of Circular No. Q-5 dated 25.03.2020, B/1880 dated 30.05.2020 & other circulars and clarifications issued in this regard.

Ref: Order No. Q13 dated 17.05.2020 issued by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.

Earlier in pursuance to the public declaration by Hon'ble The Prime Minister of India on 24<sup>th</sup> March 2020, the lock down started and from time to time, it was extended. In this regard, previously the Circular No. Q-5 dated 25.03.2020 was issued and only urgent work in subordinate courts was started thereafter through various orders, circulars, clarifications restricted functioning of the High Court and its Registry as well as of the Subordinate Courts was started from 4<sup>th</sup> May, 2020 and that is continuing till 7<sup>th</sup> June, 2020.

Due to spread of COVID-19 cases, Containment zone/area of Madhya Pradesh is changing from time to time, hence to avoid any possibility of spreading Corona cases in or all surrounding areas of court campus/residence of Judicial Officers Hon'ble the Chief Justice has been pleased to direct as under :

- (i) In case any court campus happens to fall in containment zone/area, such court campus shall remain closed until the



area is declared as non-containment area and urgent works shall be conducted from the residence of Judicial Officer concerned (as may be directed by District Judge), through Video Conferencing or other suitable mode, while in case of residential area of Judicial Officer(s) falls within containment area, such Judicial Officer(s) shall not attend the court until the residential area of concerned officer is not declared as non-containment area.

- (ii) The limited functioning of the High Court as well as Subordinate Courts as mandated by circular dated 30<sup>th</sup> May, 2020 will continue from 8<sup>th</sup> June 2020 till 13<sup>th</sup> June, 2020 except Subordinate Courts in districts Indore, Ujjain & Bhopal where only urgent matters shall be heard.
- (iii) In the High Court of Madhya Pradesh at Bench Indore, the hearing of cases will continue with minimum required staff, through Video Conferencing till 13<sup>th</sup> June, 2020.

By order of Hon'ble the Chief Justice

  
(RAJENDRA KUMAR VANI)  
REGISTRAR GENERAL

**Copy to :-**

- (1) Principal Registrar (Judicial ) High Court of M.P. Jabalpur
- (2) Principal Registrar, Bench at Indore
- (3) Principal Registrar, Bench at Gwalior
- (4) All District Judges / Principal Judges, Family Court in the State of M.P.
- (5) Registrar-Cum-P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice

  
(RAJENDRA KUMAR VANI)  
REGISTRAR GENERAL